भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1179

उत्तर देने की तारीख 11/12/2023

जनजातीय समुदायों का आर्थिक विकास

†1179. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
डॉ. सत्यपाल सिंह:
श्री राजेश वर्मा:
श्री दुर्गा दास उइके:
श्री गजेन्द्र उमाराव सिंह पटेल:
श्री सत्यदेव पचौरी:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की पहलों से पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में जनजातीय समुदायों के आर्थिक परिदृश्य के विकास में परिवर्तन आया है; और

(ख) यदि हां, तो जनजातीय समुदायों के बीच आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के ठोस परिणाम क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
श्री अर्जुन मुंडा

(क) और (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के 'वन धन' घटक के तहत, ट्राइफेड ने 2019-20 में अपनी स्थापना के बाद से 11.83 लाख लाभार्थियों को जोड़ते हुए 3958 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी है। इन वीडीवीके ने लघु वन उपज (एमएफपी) और गैर-एमएफपी के मूल्यवर्धन के माध्यम से अब तक लगभग 41 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

इसके अलावा, ट्राइफेड ने 3069 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को भी सूचीबद्ध किया है और 2019-20 से अपने ऑनलाइन/ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जनजातीय उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के विपणन से 172.55 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है। इसका वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**सकल बिक्री (करोड़ रुपये में)**
1	2019-2020	40.29
2	2020-2021	30.12
3	2021-2022	43.42
4	2022-2023	36.12
5	2023-2024(30.11.2023 तक)	22.60
कुल		**172.55**

इसी प्रकार, एनएसटीएफडीसी ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, माइक्रो (लघु) क्रेडिट योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना आदि जैसी योजनाओं के तहत 2019-20 से 2.56 लाख लाभार्थियों को 1343.06 करोड़ रुपये की राशि का रियायती ऋण वितरित किया है। इसका वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**संवितरण (करोड़ रुपये में)**	**लाभार्थियों की संख्या**
2019-20	285.37	1,20,831
2020-21	367.90	1,69,539
2021-22	272.92	1,65,101
2022-23	299.29	72,992
2023-24 (31.10.23 तक)	117.58	27,662
कुल	**1343.06**	**256,128**

अनुलग्नक

दिनांक 11.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1179 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य-वार वन धन केंद्रों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	वन धन लाभार्थियों की कुल संख्या	रिपोर्ट की गई कुल बिक्री (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123578	278.477
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	6.17
3	असम	471	143309	360.47
4	छत्तीसगढ़	139	41700	753.04
5	दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव	1	302	5
6	गोवा	10	3000	31.6
7	गुजरात	200	57968	6
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	7.7
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	29791	0
10	लद्दाख	10	3000	0
11	झारखंड	146	43701	44.4
12	कर्नाटक	140	41748	24.27
13	केरल	44	12038	7.91
14	मध्य प्रदेश	126	37860	130.31
15	महाराष्ट्र	264	79350	97.32
16	मणिपुर	200	60403	303.55
17	मेघालय	169	50835	14.71
18	मिजोरम	259	76168	295.71
19	नगालैंड	284	85198	409.02
20	ओडिशा	170	50094	1072.01
21	राजस्थान	479	144803	117.43
22	सिक्किम	80	23381	15.84
23	तमिलनाडु	8	2400	93.24
24	तेलंगाना	17	5100	0
25	त्रिपुरा	57	16116	17.91
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	6.97
27	उत्तराखंड	12	3605	3.89
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	0
कुल		**3958**	**1183412**	**4102.95**

*****